



डिफ़ी बमुकददमें इबादाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्दा दीवानी)

अज अदालत:- सहायक कलेक्टर, डीडवाना  
-:: न्याय आपके द्वार, 2018: राजस्व कोर्ट कैम्प :-  
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 22/2017

दायर दिनांक 06.02.2017

वादी	प्रतिवादीगण
1. सगाउदीन पुत्र बिलालखॉ, उम्र-40साल, जाति-शेशनी - आबाद मुसलमान, निवासी-शेशनी आबाद, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. अमीना पत्नी खलील अहमद, उम्र-40साल, 2. गुलशन पुत्री खलील अहमद, उम्र-22साल, 3. शेशन पुत्री खलील अहमद, उम्र-18साल, 4. अब्दुल रजाक पुत्र खलील अहमद, उम्र-23साल, 5. असगर अली पुत्र बिलाल खॉ, उम्र-34साल, (फौत), के वारिशान- 5/1 बरकत पत्नी स्वर्गीय असगर, उम्र-31साल, 5/2 नसीम बानो पुत्री स्वर्गीय असगर, उम्र-12साल, 5/3 आरिया पुत्री स्वर्गीय असगर, उम्र-8साल, 5/4 अब्दुल कादिर पुत्र स्वर्गीय असगर, उम्र-7साल, 5/5 अफसाना बानो पुत्री स्वर्गीय असगर, उम्र-13साल, 5/6 रुखसाना बानो पुत्री स्वर्गीय असगर, उम्र-3साल, 6. हाजरा पत्नी बिलाल खॉ, उम्र-75साल, 7. जीवणी पुत्री बिलाल खॉ, उम्र-45साल, 8. रहमत पुत्री बिलाल खॉ, उम्र-43साल, 9. विसमिला पुत्री बिलाल खॉ, उम्र-41साल, 10. कलसूम पुत्री बिलाल खॉ, उम्र-36साल, 11. मोहम्मद पुत्र इकबालखॉ, उम्र-45साल, 12. उमरदीन पुत्र इकबालखॉ, उम्र-42साल, 13. दीनमोहम्मद पुत्र इकबालखॉ, उम्र-30साल,

बनाम्

सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

		<p>14. भैवरी पुत्री इकबालखाँ, उम्र-38साल, 15. सकीना पुत्री इकबालखाँ, उम्र-36साल, 16. हलीमा पुत्री इकबालखाँ, उम्र-32साल, 17. ऐमना पत्नी इकबालखाँ, उम्र-70साल, 18. सुभानी पत्नी जलालखाँ, उम्र-68साल, समस्त,जाति-शेरानीआबाद, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 19. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।</p>
--	--	--

दावा बाबत  
घोषणा खातेदारी, बन्तवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,  
अन्तर्गत धारा- 55, 88, 188, R.T.Act.

दिनांक 10.05.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई पक्षकारान् उपस्थित ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद शेरानी आबाद में वादग्रस्त/वादवर्णित खसरा की भूमि का बन्तवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इसकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार निम्नुसार खातेदारी घोषित की जाती है:-

1. खसरा नम्बर 31 रकबा 16.12 बीघा भूमि में से, रकबा 05.11 बीघा भूमि का वादी समाउदीन को व रकबा 05.11 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 04 अब्दुल रजाक को तथा रकबा 05.10 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 05 असगर अली के वारिशान् प्रतिवादीगण संख्या 05/01 ता 05/06 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 31 के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 व 06 ता 18 का नाम हटाया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....  
.....-.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-.....  
आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 10.05.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर  
डीडवाना  
कोर्ट कैम्प-लोरोली कला (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर  
डीडवाना  
कोर्ट कैम्प-लौरोली कलाँ

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
10.05.2018	<p>राजस्व वाद संख्या: 22/2017 दायर दिनांक: 06.02.2017</p> <p>अनुवान्: समाउदीन बनाम् अमीना, वगैरा।</p> <p>—: निर्णय ::—</p> <p>न्याय आपके द्वार, 2018: राजस्व कोर्ट कैम्प-लौरोली कलाँ में पत्रावली पेश हुई। वादी उपरिस्थित।</p> <p>पक्षकारान् को समझाईश की गयी। लोक अदालत की भावना व आपसी समझाईश के कारण से पक्षकारान् दावा डिक्री किया जाने की मंशा जाहिर कर रहे हैं कि,</p> <p>शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 31 रकबा 16.12 बीघा में नजरीनक्शा अनुसार रकबा 05.11 बीघा भूमि वादी समाउदीन के बन्ट में रखी जावे,</p> <p>शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 31 रकबा 16.12 बीघा में नजरीनक्शा अनुसार रकबा 05.11 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 04 अब्दुल रजाक के बन्ट में रखी जावे,</p> <p>शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 31 रकबा 16.12 बीघा में नजरीनक्शा अनुसार रकबा 05.10 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 05 असगर अली के वारशान् संख्या 05/01 ता 05/06 के बन्ट में रखी जावे,</p> <p>प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 व 06 ता 18 का नाम उक्त खसरा की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे,</p> <p>वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।</p> <p>प्रतिवादी संख्या 05 फौत हो चुके हैं जिनके कायम मुकाम पेश हुए। वाद में इकवालिया जवाब पेश हो चुका है। पक्षकारान् इकवालिया के परिप्रेक्ष्य में दावा अनुसार, वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः, वाद वादी, बाद विवेचन डिक्री सादिर किया जाता है।</p> <p>—: आदेश ::—</p> <p>हस्य दावा डिक्री सादिर कर, शरहद शेरानी आबाद में वादग्रस्त/वादवर्णित खसरा की भूमि का बन्टवारा "वाईमीट्स एण्ड वाउण्ड्स" के कर, इसकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार निम्नुसार खातेदारी घोषित की जाती है:-</p> <p>1. खसरा नम्बर 31 रकबा 16.12 बीघा भूमि में से, रकबा 05.11 बीघा भूमि का वादी समाउदीन को व रकबा 05.11 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 04 अब्दुल रजाक को तथा रकबा 05.10 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 05 असगर अली के वारशान् प्रतिवादीगण</p>	

सहायक कलेक्टर  
डी.बाना (नागों.)

संख्या 05/01 ता 05/06 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

2. शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 31 के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 व 06 ता 18 का नाम हटाया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)

सहायक कलेक्टर

डीडवाना

कोर्ट कैम्प-लौरोली कलाँ

निर्णय, आज दिनाँक 09.05.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)

सहायक कलेक्टर

डीडवाना

कोर्ट कैम्प-लौरोली कलाँ